भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3693
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतियाँ

3693. श्री जिया उर रहमान:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त चुनौतियों से अवगत है जिनमें बेरोजगारी, अपर्याप्त अवसंरचना, आवास की कमी और मूलभूत सेवाओं की सुलभता की कमी सम्मिलित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मनरेगा, पीएमएवाई-जी और एनआरएलएम जैसी प्रमुख ग्रामीण योजनाओं के अंतर्गत आवंटित की गई और उपयोग की गई निधि राज्यवार कितनी है;

(ग) मनरेगा के अंतर्गत जिन परिवारों को रोजगार दिया गया और पीएमएवाई-जी के अंतर्गत जिन परिवारों को आवास प्रदान किए गए, उनकी विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या प्रभावकारिता और वितरण अंतराल का आकलन करने के लिए इन योजनाओं का हाल ही में कोई मूल्यांकन या सामाजिक संपरीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) मनरेगा के अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेही और भुगतान प्रणाली तथा पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्माण गुणवत्ता सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार बेहतर वितरण सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल अवसंरचना और पंचायत-स्तरीय प्रणालियों को सुदृढ़ करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय कई कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीजीयूजीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। ये योजनाएँ/कार्यक्रम देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतियों का समाधान करने, गरीबी को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने का

उद्देश्य रखते हैं। इसके लिए जीविका के अवसरों को मजबूत करना, न्यूनतम रोजगार की गारंटी प्रदान करना, स्व-नियोजन को प्रोत्साहित करना, युवाओं को विभिन्न उपयोगी व्यापारों और उद्यमिता क्षमताओं में कौशल प्रदान करना, अवसंरचना विकास करना और सामाजिक सहायता का प्रावधान करना शामिल है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मनरेगा, पीएमएवाई-जी और एनआरएलएम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित और उपयोग की गई निधि का विवरण, जहां कहीं भी उपलब्ध है, **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों सहित, मनरेगा के अंतर्गत रोजगार और पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवास प्रदान किए गए परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और जमीनी स्तर पर उनके कार्यान्वयन के आकलन के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। मनरेगा के तहत, 2020 में नीति आयोग द्वारा प्रायोजित घरेलू आय में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन आदि के संदर्भ में एक तृतीय-पक्ष अध्ययन किया गया है। अध्ययन के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक सशक्तीकरण पर इसके प्रभाव के माध्यम से ग्रामीण भारत में समावेशी विकास के लिए मनरेगा एक शक्तिशाली साधन पाया गया है। यह टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण, बेहतर जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता के माध्यम से गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा प्रदान करता है। कृषि से उत्पादन में सुधार के द्वारा घरेलू आय में वृद्धि के माध्यम से परिवारों के जीवन स्तर पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और ग्रामीण श्रमिकों के वेतन में बड़ी वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के साथ-साथ सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदाय मनरेगा योजनाओं से लाभान्वित होते हैं और उन्हें इसमें शामिल किया जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक हो सकता है।

इसी प्रकार, विश्व बैंक के सहयोग से, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव मूल्यांकन पहल (3ie) द्वारा 2019-20 के दौरान डीएवाई-एनआरएलएम का एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया। इस व्यापक अध्ययन का उद्देश्य योजना के कार्यान्वयन में प्रभावशीलता, परिणामों और वितरण अंतराल का आकलन करना था। मूल्यांकन में 9 राज्यों - बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया और इसमें लगभग 27,000 उत्तरदाताओं और 5,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के नमूने शामिल थे। मूल्यांकन के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

i. आय में वृद्धि: योजना कार्यान्वयन क्षेत्रों में स्थित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं की आय में आधार रेखा की तुलना में 19% की वृद्धि दर्ज की गई, जो इस योजना के आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

ii. औपचारिक ऋण तक बेहतर पहुँच: अनौपचारिक ऋणों पर निर्भरता में 20% की गिरावट देखी गई, जो बेहतर वित्तीय समावेशन और औपचारिक ऋण चैनलों तक पहुँच का संकेत है।

iii. बचत वृद्धि: घरेलू बचत में 28% की वृद्धि दर्ज की गई, जो स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों के बीच बढ़ी हुई वित्तीय सामर्थ्य को दर्शाती है।

iv. उच्च कार्यबल भागीदारी: उपचार क्षेत्रों में महिलाओं के बीच द्वितीयक व्यवसाय भागीदारी में 4% की वृद्धि देखी गई, जो बेहतर आर्थिक जुड़ाव का संकेत देती है।

इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के अधिदेश के अनुसार, मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर एक संस्थागत ढाँचा स्थापित करने पर ज़ोर दिया है ताकि सभी ग्राम पंचायतों का वर्ष में कम से कम दो बार सामाजिक लेखापरीक्षा किया जा सके। मंत्रालय के निरंतर प्रयासों से, कुल 27 राज्यों और 1 संघ-राज्य क्षेत्र ने स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयाँ स्थापित की हैं। इसी प्रकार, पीएमएवाई-जी के दिशानिर्देशों में पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में लोक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा अनिवार्य किया गया है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक सतर्कता और सत्यापन शामिल है, और इसे प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित किया जाना है जिसमें सभी पहलुओं की अनिवार्य समीक्षा शामिल है।

(ड) से (च): मनरेगा को नरेगा सॉफ्ट नामक एक पूर्णत: एकीकृत लेनदेन-आधारित एमआईएस प्लेटफॉर्म पर लागू किया गया है, जिसके माध्यम से योजना की आयोजना, प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति, जॉब कार्ड जारी करना, मांग की स्वीकृति, मस्टर रोल जारी करना, माप, भुगतान का अनुमोदन और अंततः डीबीटी-पीएफएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थी को भुगतान से संबंधित सभी पहलुओं की निगरानी की जाती है। योजना का मुख्य फोकस पारदर्शिता और जवाबदेही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रक्रिया अपनाई है। योजना के तहत श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्थाएं की गई हैं, जो इस प्रकार हैं: - मजदूरी भुगतान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली, कार्यस्थलों पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सेवा (एनएमएमएस), अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरे के लिए क्षेत्र अधिकारी निगरानी दौरा एप्लीकेशन, जीआईएस आधारित योजना - अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, और ग्रामीण दरों के लिए रोजगार के लिए अनुमानित गणना ऑनलाइन अनुमान उत्पन्न करने के लिए हेतु सॉफ्टवेयर (सेक्योर) सॉफ्टवेयर का उपयोग आदि।

इसी प्रकार, पीएमएवाई-जी की सभी स्तरों पर बहुत गहनता से निगरानी की जाती है। निर्माण की गुणवत्ता और निर्माण समय पर पूरा होने पर विशेष जोर दिया गया है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अपनाई गई निगरानी प्रणाली के विवरण में निर्माण के प्रत्येक चरण

के लिए जियो-टैग, समय और तारीख वाली तस्वीरों के माध्यम से निर्माण प्रगति की निगरानी, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं और क्षेत्रीय अधिकारियों का आवधिक दौरा, राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा आवासों का निरीक्षण, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की सेवाओं का उपयोग करते हुए समुदाय आधारित भागीदारी निगरानी प्रणाली, आवास सॉफ्ट-पीएफएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से 100% आधार-आधारित भुगतान, निष्पादन सूचकांक डैशबोर्ड के माध्यम से योजना को लागू करने के लिए विभिन्न मापदंडों की प्रगति की निगरानी आदि शामिल हैं।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, आवासों की पहचान से लेकर निर्माण पूरा होने तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता को अधिकतम करने और सुचिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान शामिल हैं:

i. आवास+ 2024 ऐप - इसमें पूर्व-पंजीकृत सर्वेक्षकों के माध्यम से सहायता प्राप्त सर्वेक्षण, आवास प्रौद्योगिकी चयन, चेहरा प्रमाणीकरण, आधार आधारित ई-केवाईसी, परिवारों से संबंधित आंकड़े, मौजूदा आवास की स्थिति, समय-मुद्रित और मौजूदा आवास की जियो टैग फोटो लेना, निर्माण की प्रस्तावित साइट जैसी विशेषताएं हैं। यह ऐप ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन मोड में भी कार्य करता है। पीएमएवाईजी के अगले चरण (2024-29) के लिए आवास+2024 ऐप सर्वेक्षण में पात्र परिवारों के लिए "स्व-सर्वेक्षण" सुविधा उपलब्ध है।
ii. धोखाधड़ी गतिविधि को रोकने और संभावित भ्रष्टाचार की जानकारी प्रदान करने के लिए एआई/एमएल मॉडल का उपयोग।
iii. अनुशंसा प्रणाली - यह मॉड्यूल एक पूर्णआवास की अपलोड की गई तस्वीरों में पक्की दीवार, पक्की छत, कच्ची दीवार, कच्ची छत, लोगो, खिड़की, दरवाजा और व्यक्ति जैसी विभिन्न आवास विशेषताओं की पहचान करता है और अनुमोदन के लिए अंतिम तस्वीर की सिफारिश करता है।
iv. केवाईसी ऐप - यह ऐप आधार के साथ एकीकृत है और पीएमएवाई-जी लाभार्थियों का सत्यापन करने के लिए एआई-सक्षम चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक का उपयोग करता है।
v. जीवंतता की पहचान: लाभार्थियों की पहचान के लिए आवास ऐप में आँख झपकने/गति पहचान सुविधा।

ये तकनीकी कार्यकलाप ग्राम पंचायतों को योजनाओं के प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन में मदद करते हैं।

****

अनुबंध-।

लोक सभा में दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3693 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की मनरेगा, पीएमएवाई-जी और डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार आवंटित और उपयोग की गई निधियां, जहां कहीं रिकॉर्ड रखा जाता है

1. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)**

(रुपये करोड़ में)

पिछले तीन वर्षों के दौरान मनरेगा के अंतर्गत जारी निधियां				
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	आंध्र प्रदेश	8008.81	7353.67	7707.21
2	अरुणाचल प्रदेश	578.32	427.35	560.70
3	असम	2055.28	2221.38	1929.70
4	बिहार	6403.07	6200.03	6715.83
5	छत्तीसगढ	3396.94	2895.12	3354.85
6	गोवा	5.12	0.88	3.70
7	गुजरात	1692.07	1802.26	1540.54
8	हरियाणा	373.99	477.87	590.19
9	हिमाचल प्रदेश	1162.83	1000.96	1203.28
10	जम्मू और कश्मीर	1050.99	921.60	1151.20
11	झारखंड	2712.91	2922.27	2705.64
12	कर्नाटक	6232.83	5431.67	5709.90
13	केरल	3832.43	3532.57	3136.44
14	मध्य प्रदेश	5711.77	5891.65	6252.03
15	महाराष्ट्र	2552.01	3041.48	4420.32
16	मणिपुर	1086.63	0.95	581.99
17	मेघालय	1118.76	913.86	1155.09
18	मिजोरम	540.39	507.96	611.65
19	नगालैंड	899.76	641.50	287.85
20	ओडिशा	4645.73	4906.78	3763.80
21	पंजाब	1182.13	1169.84	1331.61
22	राजस्थान	9662.99	8683.98	7581.87
23	सिक्किम	92.71	112.19	97.57
24	तमिलनाडु	9743.53	12616.53	7585.49
25	तेलंगाना	2999.11	3520.87	3825.31
26	त्रिपुरा	924.60	1043.59	1041.70
27	उत्तर प्रदेश	10652.24	9844.25	9721.48
28	उत्तराखंड	794.72	553.81	626.43
29	पश्चिम बंगाल*	1.33	0.00	0.00

30	अंडमान और निकोबार	9.60	0.00	4.44
31	लक्षद्वीप	1.62	2.21	0.32
32	पुदुचेरी	0.00	0.00	40.56
33	लद्दाख	24.95	58.77	85.98
34	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	68.93	62.64	9.02
	कुल	**90219.10**	**88760.50**	**85333.70**

* पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में लंबित देनदारियों में मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक घटक शामिल हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य को 9 मार्च, 2022 से निधियां जारी करना बंद कर दिया गया है।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

(रुपये करोड़ में)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी केंद्रीय अंश और व्यय							
		जारी केंद्रीय निधियां			व्यय (राज्य के अंश सहित)		
क्र. सं.	राज्य	2022-23	2023-24*	2024-25*	2022-23	2023-24*	2024-25*
1	अरुणाचल प्रदेश	69.58	200.605	1.00	127.27	239.84	32.39
2	असम	9141.75	2934.45	4336.24	10913.25	6356.77	3589.42
3	बिहार	7497.21	29.6575	2279.60	11718.07	1097.77	4338.54
4	छत्तीसगढ	344.23	1730.7576	5321.89	822.15	2201.82	5904.30
5	गोवा	0.00	0	0.00	0.49	0.58	0.03
6	गुजरात	911.75	559.2525	1302.49	1004.67	1540.76	1368.93
7	हरियाणा	44.33	3.2325	143.46	62.35	32.42	132.65
8	हिमाचल प्रदेश	37.86	99.464	871.39	33.24	92.40	689.95
9	जम्मू और कश्मीर	1031.58	1234.685	288.88	709.95	1363.33	636.37
10	झारखंड	1236.02	28.09	1014.75	2127.40	523.32	677.37
11	केरल	70.29	2.11	66.02	94.63	22.86	125.18
12	मध्य प्रदेश	6374.91	241.64	4277.68	11171.29	1258.44	3734.67
13	महाराष्ट्र	1676.07	785.2148	4980.59	3098.13	1809.60	4861.40
14	मणिपुर	161.14	216.4475	169.64	128.80	157.32	138.14
15	मेघालय	106.44	1591.2625	0.00	88.26	1498.34	245.95
16	मिजोरम	29.58	157.8975	12.95	55.52	140.30	58.81
17	नगालैंड	52.50	334.165	54.91	28.68	322.57	156.13
18	ओडिशा	1723.28	4310.7076	825.05	310.83	7643.52	2714.60
19	पंजाब	71.68	32.635	239.78	100.86	48.15	184.18
20	राजस्थान	2157.52	67.57	1239.90	3036.53	661.99	1440.76
21	सिक्किम	0.97	1.577847	0.00	1.67	2.12	0.60
22	तमिलनाडु	2004.39	28.2325	167.09	2290.47	975.55	310.84
23	त्रिपुरा	1264.20	1276.9	204.86	1325.14	1664.58	151.68
24	उत्तर प्रदेश	4777.03	2620.931	130.45	7317.50	5014.91	785.93
25	उत्तराखंड	128.08	388.1925	20.27	172.55	353.88	72.72
26	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00	1108.30	80.57	30.71
27	अंडमान और निकोबार	0.00	5.45	0.00	0.42	2.19	3.55
28	दादरा और नगर हवेली	0.00	0	16.12	13.49	16.73	26.40
29	दमन और दीव	0.00	0.00		0.06	0.16	0.11
30	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	आंध्र प्रदेश	0.00	312.25	113.50	87.65	503.66	90.91
33	कर्नाटक	214.92	3.61	414.04	0.00	468.67	447.06
34	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	लद्दाख	3.09	18.90	0.00	3.00	18.00	0.08
	कुल	**41130.36**	**19215.89**	**28492.52**	**57952.62**	**36113.12**	**32950.34**

*पीएम-जनमन सहित

2. **दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)**

(रुपये करोड़ में)

आवंटन और जारी निधियां 2022-23 से 2024-25										
		2022-23			2023-24			2024-25		
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय आवंटन	जारी केंद्रीय निधियां	व्यय*	केंद्रीय आवंटन	जारी केंद्रीय निधियां	व्यय*	केंद्रीय आवंटन	जारी केंद्रीय निधियां	व्यय *
1	आंध्र प्रदेश	251.73	188.80	467.53	251.73	62.94	173.00	307.69	230.77	249.92
2	बिहार	1026.58	1283.23	2166.72	1026.58	1411.55	2028.41	1254.78	1725.33	2509.33
3	छत्तीसगढ	228.01	171.01	295.38	228.01	295.81	386.57	278.70	278.70	467.21
4	गोवा	7.50	7.50	12.72	7.50	7.50	12.93	9.00	12.38	15.76
5	गुजरात	162.44	121.83	196.76	162.44	162.44	250.25	198.55	198.55	320.94
6	हरियाणा	95.57	47.78	67.44	95.57	47.78	56.87	116.81	29.20	68.78
7	हिमाचल प्रदेश	40.25	40.25	45.70	40.25	55.34	56.58	49.19	67.64	65.65
8	जम्मू और कश्मीर	180.17	127.84	141.94	180.00	180.00	171.00	60.79	45.59	112.37
9	झारखंड	387.08	387.08	693.38	387.08	387.08	667.49	473.13	473.13	844.52
10	कर्नाटक	325.87	244.40	444.79	325.87	325.87	556.73	398.31	270.55	602.77
11	केरल	146.22	109.66	148.14	146.22	109.66	222.40	178.72	178.72	268.11
12	मध्य प्रदेश	488.46	488.46	585.76	488.46	244.23	613.58	597.04	447.78	585.87
13	महाराष्ट्र	644.01	483.01	763.24	644.17	885.73	1294.08	787.36	1082.62	1884.76
14	ओडिशा	493.59	616.99	1006.44	493.59	678.69	888.67	603.31	576.12	1199.55
15	पंजाब	46.44	34.83	56.35	46.44	42.54	66.23	56.77	56.77	83.82
16	राजस्थान	247.45	340.24	500.95	247.45	247.45	543.44	302.45	415.87	535.65
17	तमिलनाडु	381.57	381.57	834.62	381.57	286.18	509.61	466.39	349.80	755.25
18	तेलंगाना	179.81	44.95	81.71	179.81	0.00	77.14	219.78	83.95	147.64
19	उत्तर प्रदेश	1477.94	1108.45	1829.21	1477.94	1477.94	2297.81	1806.47	1465.13	2224.21
20	उत्तराखंड	77.81	106.99	99.90	77.81	106.99	135.36	95.11	127.11	130.43
21	पश्चिम बंगाल	548.53	548.53	779.72	548.53	657.16	1038.02	670.46	921.88	1442.72
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.00	4.50	4.25	6.00	6.00	5.59	7.00	5.25	4.64
23	दमन और दीव तथा दादरा और नगर	6.00	3.00	2.53	4.50	3.38	2.30	5.50	5.50	3.86

	हवेली									
24	लक्षद्वीप	2.39	1.19	1.15	3.00	1.50	7.18	3.50	1.75	1.40
25	लद्दाख	13.19	6.60	3.43	10.00	10.00	1.13	7.50	7.50	6.62
26	पुदुचेरी	17.00	12.75	13.46	17.00	17.00	14.67	20.00	20.00	16.08
27	अरुणाचल प्रदेश	132.26	99.19	91.00	127.76	127.76	130.21	79.56	79.56	118.87
28	असम	381.36	381.36	456.30	398.43	398.43	468.63	406.88	376.26	485.05
29	मणिपुर	125.38	31.35	27.30	105.23	52.62	62.70	138.58	69.29	72.57
30	मेघालय	169.28	169.28	154.25	199.76	274.67	121.35	155.26	213.48	283.66
31	मिजोरम	156.72	39.18	54.64	163.96	63.87	72.46	35.93	17.96	60.52
32	नगालैंड	177.94	88.97	82.10	164.28	123.21	94.60	106.50	106.50	143.81
33	सिक्किम	66.49	16.62	20.32	73.32	18.33	15.92	39.78	9.94	16.96
34	त्रिपुरा	241.62	120.81	173.31	305.35	305.35	316.56	250.22	250.22	263.81
	कुल	**8935.66**	**7858.21**	**12302.45**	**9015.60**	**9074.99**	**13359.44**	**10187.00**	**10200.79**	**15993.10**
	***नोट- कुल उपलब्ध निधि की तुलना में व्यय जिसमें (प्रारंभिक शेष+केन्द्रीय अंश+राज्य अंश+अन्य प्राप्तियां) शामिल हैं**									

अनुबंध- ।।

लोक सभा में दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3693 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-।।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार परिवारों की संख्या जिन्हें मनरेगा के तहत रोजगार और पीएमएवाई-जी के तहत आवास प्रदान किया गया

क. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार प्राप्त परिवार (आंकड़े लाख में)		
		2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	45.83	46.55	46.94
2	अरुणाचल प्रदेश	2.71	2.69	3.01
3	असम	22.98	22.46	19.13
4	बिहार	50.14	48.18	51.21
5	छत्तीसगढ	25.74	24.77	25.61
6	गोवा	0.04	0.02	0.03
7	गुजरात	10.29	9.94	9.08
8	हरियाणा	3.08	3.66	3.46
9	हिमाचल प्रदेश	6.47	6.74	7.18
10	जम्मू और कश्मीर	7.06	6.86	7.32
11	झारखंड	20.65	21.85	20.22
12	कर्नाटक	29.58	29.95	29.13
13	केरल	15.51	14.69	13.72
14	लद्दाख	0.34	0.32	0.33
15	मध्य प्रदेश	45.16	40.85	38.61
16	महाराष्ट्र	21.20	24.46	30.07
17	मणिपुर	3.57	4.78	5.25
18	मेघालय	4.79	4.89	4.70
19	मिजोरम	2.16	2.19	2.09
20	नागालैंड	4.21	4.07	2.11
21	ओडिशा	33.35	32.71	23.38
22	पंजाब	8.46	8.49	8.34
23	राजस्थान	63.46	63.85	58.86
24	सिक्किम	0.60	0.61	0.60
25	तमिलनाडु	65.67	68.76	65.32
26	तेलंगाना	27.35	25.33	26.69
27	त्रिपुरा	5.58	5.87	5.91
28	उत्तर प्रदेश	70.03	68.54	65.27
29	उत्तराखंड	5.01	4.72	4.32

30	पश्चिम बंगाल	16.29	0.08	0.00
31	अंडमान और निकोबार	0.05	0.04	0.03
32	दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.00	0.01	0.05
33	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
34	पुदुचेरी	0.42	0.52	0.47
	कुल	617.76	599.45	578.44

ख. पीएमएवाई-जी के अंतर्गत संचयी वास्तविक प्रगति (07.08.2025 की स्थिति के अनुसार)

(इकाइयाँ संख्या में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत आवास	पूर्ण हो चुके आवास
1	अरुणाचल प्रदेश	35,937	35,591	35,591
2	असम	29,87,868	28,88,011	20,77,817
3	बिहार	50,12,752	49,02,754	38,43,375
4	छत्तीसगढ	26,42,224	23,81,067	15,08,943
5	गोवा	257	254	242
6	गुजरात	9,02,354	8,29,340	6,03,372
7	हरियाणा	1,06,460	74,937	41,173
8	हिमाचल प्रदेश	1,21,502	97,535	37,364
9	जम्मू और कश्मीर	3,36,498	3,34,771	3,13,878
10	झारखंड	20,12,107	19,39,824	15,72,485
11	केरल	2,32,916	76,238	34,380
12	मध्य प्रदेश	57,74,572	49,40,230	38,81,246
13	महाराष्ट्र	43,70,829	41,03,400	14,02,311
14	मणिपुर	1,08,550	1,01,549	56,711
15	मेघालय	1,88,034	1,85,763	1,50,086
16	मिजोरम	29,967	29,959	25,323
17	नागालैंड	48,830	48,747	36,238
18	ओडिशा	28,49,889	28,10,721	24,26,175
19	पंजाब	1,03,674	76,689	41,740
20	राजस्थान	24,97,121	24,32,356	17,53,137
21	सिक्किम	1,399	1,397	1,393
22	तमिलनाडु	9,57,825	7,42,923	6,47,487
23	त्रिपुरा	3,76,913	3,76,272	3,71,295
24	उत्तर प्रदेश	36,85,704	36,56,195	36,38,625
25	उत्तराखंड	69,194	68,534	68,218
26	पश्चिम बंगाल	45,69,423	45,69,032	34,19,593
27	अंडमान और निकोबार	3,424	2,593	1,302
28	दादरा और नगर हवेली	11,206	10,777	5,031
29	दमन और दीव	158	158	42
30	लक्षद्वीप	45	53	45
31	पुदुचेरी	-	-	-
32	आंध्र प्रदेश	2,47,114	2,46,930	88,995
33	कर्नाटक	9,44,140	5,20,862	1,58,520
34	तेलंगाना	-	-	-

35	लद्दाख	3,004	3,004	3,004
	कुल	**4,12,31,890**	**3,84,88,466**	**2,82,45,137**

****